

2023/183

श्रीमान्जी

प्रार्थीया परमजीत पत्नी गुरतेज सिंह जाति कुम्हार निवासी कालूवाला 1 एम एल श्रीगंगानगर ने प्रार्थना पत्र, शपथ पत्र व आई.डी. प्रूफ एवं दो गवाहों के शपथ पत्र, आई.डी.प्रूफ, मूल रसीद निवेदन किया है कि उसके द्वारादिनांक 27.03.2023 को एक बन्द वसीयत सिल्ड लिफाफा सेफ कस्टडी में रखवाया गया था, जिसे प्रार्थी बिना खोलें वापिस लेना चाहता है।

प्रार्थीया को गवाह श्री खुशकरन सिंह पुत्र गुरदेव सिंह एवं प्रेमलाल पुत्र ताराचन्द ने पहचाना है। प्रार्थीया एवं गवाहों की शिनाख्त श्री विक्रम गोदारा अधिवक्ता, श्रीगंगानगर. ने की है। इण्डियन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1908 की धारा 44 के अन्तर्गत बंद वसीयत प्रार्थी को वापिस दिये जाने का प्रावधान है।

अतः पूर्व में बंद लिफाफा नियमानुसार फीस जमा करवाकर प्रार्थीया को वापिस दिया जाना प्रस्तावित है।

प्र.अ.प्रंजीयन



